कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा म.प्र.

'' विज्ञप्ति ''

क्रमांक /9539/बाढ़/राहत/2021 हरदा, दिनांक 06 /07/2021

जिला हरदा में वर्ष 2021 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि को दृष्टिगत रखते हुये माह जुलाई 2021 से सितम्बर 2021 तक (3 माह) के लिये लगभग 10 से 12 मोटरबोट/नाव किराये पर लिया जाना हैं। इस हेतु निविदा आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक 22/07/2021 दोपहर 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं । निविदाकार निर्धारित तिथि व समय तक निविदा सीलबंद लिफाफे में **'' कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा ''** में अवकाश के दिवस को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा दिनांक 22/07/2020 को सांय 4:00 बजे समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरार्थ के कार्यालय में खोली जावेगी । निविदा आवेदन पत्र एवं शर्ते कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवकाश दिवस छोड़कर निर्धारित शुल्क रूपये 100.00 (सौ रूपये) का बैंक चालान 0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, 800–अन्य प्राप्तियां में जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र व शर्ते जिले की वेबसाइड www.harda.nic.in से डाउनलोड की जा सकती हैं । जिसके लिए पृथक से 100.00 रूपये का डी0डी0 संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

निविदा आज दिनांक 06/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

6/7/21
अपर कलेक्टर
जिला –हरदा

पृ.क्रमांक /9540/बाढ़/राहत/2021 हरदा, दिनांक 06/07/2020

प्रतिलिपि :–

1 अपर संचालक, (विज्ञापन शाखा) जन सम्पर्क संचालनालय, बाणगंगा भोपाल की ओर संक्षिप्त निविदा प्रकाशन हेतु प्रेषित हैं ।

2 कार्यालय कलेक्टर जिला .... की ओर सूचना पटल पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

3 अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।

4 तहसीलदार (सर्व) जिला हरदा की ओर सूचना पटल पर चस्पा हेतु प्रेषित ।

5 सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन हरदा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी) जिला कार्यालय हरदा की ओर निविदा वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।

7 जिला कार्यालय हरदा के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।

6/7/21
अपर कलेक्टर
जिला –हरदा

निविदा एवं शर्ते

1-. निविदा पत्रक जमा करने के साथ राशि रुपए 3000 (अंकन तीन हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट कलेक्टर हरदा के नाम से जमा करना होगा।

2. मोटरबोट/नाव दिनांक 01 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक हरदा जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए किराए पर ली जावेगी।

3. फर्म/मालिक को जिले के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं के व्यय पर मोटरबोट/नाव का परिवहन करना होगा।

4. मोटरबोट/नाव कार्यादेश देने के दिनांक से उपलब्ध करना होगा। मोटरबोट/नाव कार्यादेश प्रदान करने के 48 घंटे के अंदर उपलब्ध न कराने की दशा में 500 प्रतिदिन की दर से अर्थदंड आधिरोपित किया जा सकता है।

5. आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त मोटरबोट/नाव स्वीकृत दर पर ही उपलब्ध कराना होगा।

6. न्यूनतम दरें अनुमोदित होने पर अनुबंध के समय मोटरबोट/नाव मालिक को 3000 रुपयें की अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

7. मोटरबोट/नाव में किसी भी प्रकार की मरम्मत व अन्य खर्चे (लुब्रिकेंट) एक्सीडेंट व टूट फूट के लिए फॉर्म मालिक स्वयं जवाब देह होगा।

8. मोटरबोट/नाव चालक को प्रतिदिन लॉग बुक संधारित करनी होगी। लॉग बुक का सत्यापन ग्राम कोटवार, पटवारी, सचिव किन्हीं दो से कराना अनिवार्य होगा।

9. नाव चालक का व्यवहार मधुर व नैतिक होगा।

10. नाव चालक क्षमता से अधिक सवारी नहीं बिठायेगा।

11. मोटरबोट/नाव अच्छी हालत में होनी चाहिए जिसके लिए अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (ई एण्ड एम) से प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

12. मासिक किराए में सभी प्रकार के टैक्स सम्मिलित होंगे । पृथक से टैक्स या सेवा कर आदि देय नहीं होगा।

13. निविदाकार/फॉर्म/मालिक को मोटरबोट/नाव का यात्रियों की क्षमता अनुसार बीमा कराना होगा।

14. फर्म/मालिक द्वारा नाव चालक बदला जाता है तो उसका संपूर्ण बायोडाटा 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना होगा।

15. मोटरबोट/नाव मरम्मत की दशा में 24 घंटे से अधिक समय लगने पर दूसरी मोटरबोट/नाव 48 घंटे में उपलब्ध कराना होगा या मरम्मत अवधि का किराया देय नही होगा।

16. मोटरबोट/नाव चालक की ठहरने/भोजन आदि की व्यवस्था निविदाकार की होगी।

17. यथासंभव मोटरबोट/नाव चालक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं उसे व्यवसायिक मोटर/नाव संचालन का ड्राइविंग लाइसेंस धारित व 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

18. निविदाकार/फर्म/मालिक को प्रत्येक मोटरबोट/नाव की क्षमता अनुरूप जीवन रक्षक उपकरण जैसे लाइफ जैकेट, लाइफ रिंग, 2 नग लंबे बॉस 2 नग चप्पू एवं 20 फीट लंबा रस्सा व मेडिकल किट रखना अनिवार्य होगा जिसका प्रमाणन अनुभाग अधिकारी लोक निर्माण विभाग (ई एण्ड एम) से कराना होगा।

19. निविदाका/फर्म मालिक को प्रतिमाह की 7 तारीख तक भुगतान देयक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। भुगतान आवंटन की उपलब्धता अनुसार किया जावेगा।

20. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने में अगर देरी होती है तो विज्ञप्ति में दर्शित दिनांक से कार्यादेश प्रदान करने की समयावधि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

21. निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर जिला हरदा को होगा। कलेक्टर हरदा 15 दिवस के नोटिस पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर सकेंगे।

22. न्यायिक प्रक्रिया की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र हरदा होगा।